राजेश कुमार, अपीलकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य,-प्रतिवादी

आपराधिक अपील संख्या. 2004 का 89/एसबी

24 जनवरी 2007

भारतीय दंड संहिता, 1860—एस.एस. 342, 376 (2)(जी) एवं 506- नाबालिग से सामूहिक बलात्कार का आरोप—अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराया गया-पीड़िता के निजी अंगों पर कोई चोट या कोई असामान्यता नहीं पाई गई- चिकित्सीय साक्ष्य सामूहिक बलात्कार की संभावना को खारिज करते हैं—कि इसकी संभावना है कि पीड़िता के कपड़ों पर वीर्य की उपस्थिति और. डॉक्टर की राय है संभोग से इनकार नहीं किया जा सकता | इसका मतलब यह नहीं है कि उसने संभोग किया था। बलात्कार का शिकार हुआ - अभियोजन पहचान स्थापित करने में विफल रहा, अभियुक्तों में से किस-किस को था। उसके साथ - अपील की अनुमति दी गई, अपीलकर्ताओं को बरी कर दिया गया, उनके खिलाआरोप तय किए गए।

माना गया कि मेडिकल गवाही किसी अन्य के लिए कोई जगह नहीं छोड़ती है राय सिवाय इसके कि अभियोक्ता के साथ कई बार बलात्कार नहीं हुआ। प्राइवेट पार्ट्स पर न तो कोई चोट आई है और न ही कोई असामान्यता पाया गया। यह अपने आप में संपूर्ण अभियोजन संस्करण को झुठलाता है। सलवार पर वीर्य की उपस्थिति और डॉक्टर की राय संभोग की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता, वास्तव में ऐसा नहीं है, इसका मतलब यह है कि उसके साथ बलात्कार किया गया था । निस्संदेह, यदि अभियोक्त्री की आयु 16 वर्ष से कम है, सहमति महत्वहीन हो जाती है। भले ही अभियोक्ता नाबालिग थी और सहमति देने में असमर्थ थी, कानून की नजर में, तो ऐसी स्थिति में यह अभियोजन पक्ष पर था इसके कि यह साबित करने के लिए कि आरोपी व्यक्तियों में से किसने यौन संबंध बनाए थे ।

(पैरा 12)

इसके अलावा, यह माना गया कि चिकित्सीय साक्ष्य स्पष्ट रूप से संभावना को खारिज करते हैं कि अभियोक्ता के साथ कई बार बलात्कार किया गया। यौन का सबूत गतिविधि निस्संदेह मौजूद है और अभियोक्ता की उम्र को देखते हुए, यह इसमें लिप्त पाए गए व्यक्ति को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त था। लेकिन अभियोजन पक्ष उसकी पहचान स्थापित करने में विफल रहा है। पीड़िता के कपड़ों से किसी भी आरोपी का वीर्य पता नहीं ,किसी भी सबूत से. इसे देखते हुए धारा 376(2)(जी) के तहत आरोप अपलकर्ताओं के विरुद्ध आवश्यक रूप से असफल होना चाहिए।

(पैरा 13)

आगे आयोजित, पूरे साक्ष्य में कानाफूसी नहीं है जैसा कि माता-पिता ने किया था जब उन्होंने पाया कि लड़की थी इतने लंबे समय के लिए पता लगाने योग्य नहीं है. यह विवेकपूर्ण की उम्मीद नहीं है माता पिता. अगर कोई लड़की इतने समय से घर से गायब थी माता-पिता या रिश्तेदारों द्वारा उसके ठिकाने का पता लगाने के लिए समय की कोशिशें निश्चित रूप से की गई होंगी. यह इस तथ्य के साथ युग्मित है कि अभियोजन पक्ष ने पत्रों के आदान-प्रदान को स्वीकार किया है राजेश कुमार जो केवल उसके जाने की संभावना पर भरोसा करता है उसके साथ ही.

(पैरा 14)

अपीलार्थी राजेश कुमार की ओर से ज्योति प्रसाद, अधिवक्ता।

अशीत मलिक, अपीलकर्ताओं के वकील राम फल और

ईश्वर सिंह।

एस.के.हुड्डा, वरिष्ठ उप महाधिवक्ता, हरियाणा

राज्य।

प्रलय

महेश ग्रोवर, जे. (मौखिक)

महेश ग्रोवर, जे. (मौखिक)

(1) वर्तमान अपीलों के माध्यम से अपीलकर्ताओं ने हमला किया है, अपर का निर्णय एवं आदेश. सैशन जज, कैथल दिनांक 20 नवंबर, 2003/21 नवंबर, 2003, -जिसके माध्यम से वे रहे हैं,दोषी ठहराया गया और एक अवधि के लिए कठोर कारावास की सजा सुनाई गई | प्रत्येक को सात साल की सज़ा और रुपये का जुर्माना देना होगा। डिफ़ॉल्ट रूप से 2,000 प्रत्येक जुर्माना अदा करने पर अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा, धारा 366 आईपीसी के तहत छह महीने की अवधि; आईपीसी की धारा 342 के तहत प्रत्येक को छह महीने की अवधि के लिए कारावास; आईपीसी की धारा 506 के तहत एक वर्ष की अवधि के लिए कठोर कारावास भुगतना होगा, दस वर्ष की अवधि और रुपये का जुर्माना देना होगा। 10,000 प्रत्येक, डिफ़ॉल्ट रूप से जुर्माना अदा करने पर अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा, धारा 376(2)(जी) आईपीसी के तहत दो-दो वर्ष की अवधि।

राजेश कुमार बनाम हरियाणा राज्य

(महेश ग्रोवर, जे.)

367

(2) अभियोजक सुमन देवी (पीडब्लू 8) के बयान पर एक मामला आईपीसी की धारा 376, 506, 342, 366 के साथ पठित धारा 34 के तहत था,अपीलकर्ताओं रामफल, राजेश कुमार के खिलाफ मामला दर्ज किया गया | अभियोजक और बयान के अनुसारजिसे उसने 22 मार्च 2000 को पुलिस के सामने दर्ज करवाया था जब सुबह 10 बजे उसके माता-पिता चारा लेने के लिए बाहर गए हुए थे,सब्जियाँ खरीदने के लिए बंता राम की दुकान की ओर बढ़ें, और जब वह ईश्वर सिंह, राजू डॉक्टर, के घर के पास पहुंची, ईश्वर के घर में उसका क्लिनिक था और ईश्वर वहां आया था। दोनों वे उसे जबरनएक कमरे मे गांव के ही रामेश्वर पुत्र रामफल के घर ले गए। राजू डॉक्टर ने जबरदस्ती उसकी सलवार का नाड़ा तोड़ दिया था और उसके साथ दुष्कर्म किया. इसके बाद दोनों ने उसे धमकी दी कि अगर उसने शोर मचाया तो उसे जान से मार दिया जाएगा। डालने के बाद कमरे के बाहर ताला लगाकर वे चले गए। वह तब तक कमरे में ही रही, एक कमरे में इसके बाद तीनों आरोपी वापस आये और वारदात को अंजाम दिया। पूरे कमरे में बंधक बनाकर उसके साथ बारी-बारी से बलात्कार किया गया। सुबह वे फिर कमरे में ताला लगाकर चले गये।दोपहर करीब 12 बजे उसने अलार्म बजाया और अलार्म बजने पर वह बेहोश हो गई|उसका चचेरा भाई प्रकाश, जो गली से गुजर रहा था, ने दरवाजा तोड़ दिया,दरवाजे के तख्ते खोलकर उसे कमरे से बाहर निकाला। उसने पूरी घटना उसके माता-पिता को बताई। गांव में पंचायत बैठायी गयी लेकिन आरोपी ने इसमें भाग नहीं लिया। इसके बाद वह पुलिस के सामने अपना बयान दर्ज करवाया|

(3) उसी दिन डॉ. सुनीता जैन. उसकी चिकित्सीय-कानूनी जांच की गई - पुनर्प्राप्ति ज्ञापन उदाहरण के माध्यम से अभियोक्त्री के कपड़े कब्ज़ा ले लिए गए। पुनश्च. एसआई द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया |हरिंदर सिंह 24 मार्च 2000 को सुबह करीब 9.10 बजे रफ साइट योजना पूर्व. अभियोक्ता के संबद्ध होने के बाद पीटी तैयार की गई थी इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई पूरी की जांच में संहिता की धारा 173 के तहत चालान प्रस्तुत किया गया |आपराधिक प्रक्रिया और सभी आरोपियों को w4* *7 के लिए चालान कर दिया गया |

(4) अभियोजन पक्ष ने 10 गवाहों से पूछताछ की, इस दौरान जब्त किए गए विभिन्न प्रदर्शनों का उत्पादन करने के अलावा अपने मामले का जांच का क्रम. धारा के तहत दर्ज बयान में समर्थन करना, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 अपीलकर्ता ने सभी का खंडन किया | अभियोजन पक्ष के आरोप और झूठे आरोप लगाने का अनुरोध किया कि इनके बीच दीवानी और फौजदारी मुकदमा चल रहा था |

s। आरोपी राजेश कुमार उर्फ राजू डॉक्टर ने आगे पैरवी की, सुमन देवी अभियोजक उसके साथ शामिल थी और उसने लिखित पत्र जिससे उसकी उनके साथ घनिष्ठता स्थापित हुई। पूर्व. डीएफ/1, डीजी/ 1, डीएच और डीजे दोनों के बीच पत्र का आदान-प्रदान हुआ और साक्ष्य के माध्यम से रिकार्ड पर लाया गया।

(5) ट्रायल कोर्ट आने से पहले सबूतों का मूल्यांकन करने के बाद इस निष्कर्ष पर अभियोजन पक्ष स्थापित करने में सक्षम था ,ऊपरोक्त अपीलकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया गया और उन सभी को दोषी ठहराया गया।

(6) ट्रायल कोर्ट का फैसला दिनांक 20 नवंबर, 2003 वर्तमान अपील का विषय है।

(7) अपीलकर्ता राजेश कुमार के विद्वान वकील ने तर्क दिया है, सबसे पहले तो अभियोक्ता की उम्र अभी तक स्थापित नहीं की गई है। जांच के दौरान डॉक्टर ने किया ,अभियोक्त्री के अस्थि-स्फीति परीक्षण की अनुशंसा की गई जो नहीं किया गया और चूक को स्पष्ट नहीं किया गया। यह तर्क देने की कोशिश की गई थी | आयु स्थापित करने के लिए किसी निर्णायक सबूत के अभाव में अभियोक्ता यह नहीं कह सकती कि उसके साथ बलात्कार हुआ है खासकर इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उसे कोई चोट नहीं आई थीव्यक्ति और वह अपीलकर्ताओं में से एक के साथ शामिल थी।राजेश कुमार उर्फ राजू.

(8) विद्वान सी द्वारा उठाया गया अगला विवाद आशय यह था कि चिकित्सीय गवाही मामले का समर्थन नहीं करती है| अभियोजन पक्ष के अनुसार उस पर चोट के कोई निशान नहीं पाए गए हैं | इसके अलावा हाइमन बरकरार और राय के मुताबिक पाया गया, डॉक्टर के बावजूद भी संभोग से इंकार नहीं किया जा सकता फिर भी अभियोक्ता के आरोप जो उसके अधीन थे| लगभग 24 घंटे के अंतराल में चार बार संभोग और वह भी उसकी सहमति के बिना स्वीकार नहीं किया जा सकता।

(9) तीसरा, अभियोक्ता के कपड़ों से वीर्य का उपस्थिति का पता चला | लेकिन किसी भी आरोपी व्यक्ति के वीर्य के साथ सलवार पर मिले वीर्य को जोड़ने का कोई प्रयास नहीं किया गया। रामफल नामक व्यक्ति के अंडरगार्मेंट पर भी कुछ वीर्य पाया गया | लेकिन इसका भी सलवार पर मिले वीर्य से कोई संबंध नहीं था | अभियोजक का. इसे देखते हुए यह तर्क देने की मांग की गई थी,अभियोजन पक्ष अपीलकर्ताओं को इससे जोड़ने में विफल रहा,अपराध का कमीशन और संदेह का लाभ होना चाहिए अपीलकर्ताओं तक बढ़ाया गया।

राजेश कुमार बनाम हरियाणा राज्य

(महेश ग्रोवर, जे.)

369

(10) दूसरी ओर, राज्य के विद्वान वकील ने तर्क दिया, कि अभियोक्ता की उम्र स्कूल के माध्यम से विधिवत स्थापित की गई थी | प्रमाण पत्र जिसके अनुसार उसकी जन्मतिथि 4 जून, 1984 है और अपराध के समय वह मात्र 15 वर्ष और 0 वर्ष की थी किसी अन्य साक्ष्य के अभाव में यह साक्ष्य अभियोक्ता की उम्र स्थापित करने के लिए

निर्णायक था। वह अलग, सब आरोपियों ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर जघन्य अपराध किया है| रिकार्ड पर ठोस साक्ष्यसामूहिक बलात्कार और इसे ध्यान में रखते हुए वे किसी भी तरह की नरमी के पात्र नहीं हैं।

(11) पीडब्लू6 डॉ.सुनीता जैन, चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ठस्का मीराजी ने प्रथम दृष्टया लड़की का होना लगभग पाया ,15 साल की उम्र में सामान्य चाल के साथ हल्की चोट थीबायीं बांह बायीं कलाई के जोड़ से 2 इंच ऊपर लगभग 1 सेमी. x V2 सेमी.

उसकी स्थानीय जांच से पता चला कि सार्वजनिक बाल मौजूद थे लेकिनउलझा हुआ नहीं। लेबिया मेजा स्वस्थ था। हल्की सी चोट मौजूद थी,लेबिया मिनोरा का चिकित्सीय पक्ष। हाइमन मौजूद था लेकिन सिकुड़ गया था |मार्जिन हाइमन के किनारे स्वस्थ थे।दो उँगलियाँ कसकर योनि छिद्र स्वीकार किया गया। उन्होंने आगे कहा कि यौन संबंध की संभावना संभोग से इनकार नहीं किया जा सकता. जिरह में वह आगे बोलीं, इस प्रकार राय व्यक्त की गई:

".....अगर सुमन जैसी कम उम्र की लड़की बार-बार होती है, 3-4 लोगों ने बलात्कार किया तो उसकी चाल सामान्य नहीं होगी ,और उसे वहां चलने-फिरने में दिक्कत होगी,शरीर के निचले हिस्सों में भी सामान्य दर्द होगा ,और सामान्य निकाय. यह सही है कि अभियोक्ता के मामले में रेप का विरोध किया तो उसके शरीर पर चोटें आई। यदि किसी व्यक्ति के साथ खाट या अनियमित सख्त सतह पर बलात्कार किया जाता है, तो निश्चित रूप से महिला पर चोटों के निशान होंगे, नितंबों का पिछला भाग, पैरों का पिछला भाग और भुजाओं का पिछला भाग..... यह सही है, वर्तमान मामले में हाइमन बरकरार पाया गया। सिकुड़े हुए मार्जिन का मतलब है कि मार्जिन ठीक हो गया है। यह सही है कि हाइमन के आँसू 5/6 दिन भीतर ही ठीक हो जाते हैं, मैं यह नहीं कह सकता कि 7 या 8 दिन में हाशिया हो जाएगा फिर कहा कि एक सप्ताह बाद सिकुड़ जाते हैं. यह सही है कि मार्जिन 8 से 10 दिनों के बाद सिकुड़ जाता है। अगर बार-बार रेप किया जाए यदि बल प्रयोग किया जाए तो योनि छिद्र पर चोट लग जाएगी, लेबिया मिनोरा, पोस्टीरियर कमिसर और हो सकता इन सभी जननांगों में ताजा प्रवाहित रक्त की उपस्थिति उपर्युक्त। वर्तमान मामले में, कोई खून नहीं था और उपरोक्त हिस्सों पर कोई चोट नहीं आई।"

(12) उपरोक्त चिकित्सीय गवाही किसी अन्य के लिए कोई जगह नहीं छोड़ती है। इसके कि अभियोक्ता के साथ कई बार बलात्कार नहीं हुआ। प्राइवेट पार्ट्स पर न तो कोई चोट आई है और न ही कोई असामान्यता पाया गया। यह अपने आप में अभियोजन पक्ष के पूरे संस्करण को झुठलाता है। सलवार पर वीर्य की उपस्थिति और डॉक्टर की राय वास्तव में संभोग की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता,इसका मतलब यह नहीं है कि उसके साथ बलात्कार हुआ था। निःसंदेह यदि अभियोक्त्री की आयु 16 वर्ष से कम है, सहमति महत्वहीन हो जाती है। भले ही अभियोक्ता नाबालिग थी और सहमति देने में असमर्थ थी | कानून की नजर में, तो ऐसी स्थिति में यह अभियोजन पक्ष पर था, उसके साथ संभोगयह साबित करने के लिए कि आरोपी व्यक्तियों में से किसने यौन संबंध बनाए थे।

(13) जैसा कि पहले देखा गया था, चिकित्सा साक्ष्य स्पष्ट रूप से अभियोक्ता के साथ कई बार बलात्कार होने की संभावना इनकार करते है। प्रमाण इसमें कोई संदेह नहीं है कि यौन गतिविधि मौजूद है और उम्र को देखते हुए | अभियोजन पक्ष किसी ऐसे व्यक्ति को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त था जो इस में संलिप्त पाया गया था। लेकिन अभियोजन पक्ष उसकी पहचान स्थापित करने में विफल रहा है। ये पुरुष अभियोक्त्री के कपड़ों पर जो कुछ पाया गया, उसका कोई पता नहीं चल सका किसी भी सबूत से आरोपी. इसे देखते हुए धारा के तहत आरोप लगाया गया है,अपीलकर्ताओं के खिलाफ आईपीसी की धारा 376(2)(जी) अनिवार्य रूप से विफल होनी चाहिए।

(14) इस संभावना का सामना करते हुए राज्य के लिए विद्वान वकील जोरदार ढंग से तर्क दिया कि आईपीसी की धारा 366 और 342 के तहत अपराध अपीलकर्ताओं के विरुद्ध मामला बनता है। अभियोजन पक्ष ने कहा कि जब पीड़िता से मामले के अनुसार जबरदस्ती की गई तो वह लापता हो गई, 22 मार्च, 2000 को लगभग 11.00 बजे अपहरण कर लिया गया और रिहा कर दिया गया |अगले दिन दोपहर 12.00 बजे जब उसने शोर मचा दिया था | उसने अपने चचेरे भाई का ध्यान आकर्षित किया जो वहां से गुजरने वाला था । पूरे साक्ष्य में इस बात की फुसफुसाहट तक नहीं है कि माता-पिता क्या थे, जब उन्हें पता चला कि लड़की का एक लंबे समय ऐसे कोई पता

नहीं चल पा रहा है। विवेकशील माता-पिता से यह अपेक्षा नहीं की जाती। अगर कोई लड़की होती इतने लंबे समय तक घर से गायब रहने की कोशिश जरूर की जाएगी, उसके माता-पिता या रिश्तेदारों द्वारा उसका पता लगाने के लिए कार्रवाई की गई है ठिकाना यह इस तथ्य से जुड़ा है कि अभियोजक ने स्वीकार किया है उसके स्वयं उसके साथ जाने की संभावना के लिएराजेश कुमार के साथ पत्रों का आदान-प्रदान जो केवल विश्वसनीयता प्रदान करता । उपरोक्त पत्र पूर्व. डीएफ/1, डीजी/1, डीएच और डीजे को विशेष रूप से उसके सामने रखा गया था-परीक्षा और उसने उपरोक्त पत्र लिखने से इनकार नहीं किया लेकिन केवल यह अनुरोध किया कि उसे इन्हें लिखने के लिए मजबूर किया गया था। तथापि, उसके बयान की आगे की जांच से यह भी पता चलता है कि उसने ऐसा नहीं किया है,यह समझाने में सक्षम हुए कि ये पत्र कैसे अस्तित्व में आए या क्या उस पर एक तरह का दबाव डाला गया।

(15) इस प्रकार अभियोजन पक्ष दोष सिद्ध करने में विफल रहा है,पुख्ता साक्ष्य न जुटाकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। कुछ कामुक नाबालिग लड़की की गतिविधि को अभियोजन पक्ष को प्रेरित करना चाहिए था,यह स्थापित करें कि इन सभी आरोपियों में से कौन शामिल था ,यह खासकर तब जब चिकित्सकीय राय ने सामूहिक बलात्कार इसकी संभावना को खारिज कर दिया हो।।

(16) ऊपर बताए गए कारणों से दोनों अपीलें स्वीकार की जाती हैं,और अपीलकर्ताओं को उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों से बरी कर दिया गया है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित दनणणय वाि ी के सीदमत उपयोग के दिए है तादक वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और दकसी अन्य उद्देश्य के दिए इसका उपयोग नहीीं दकया जा सकता है । सभी व ् यवहाररक और आदिकाररक उद्देश्यो के दिए दनणणय का अींग्रेजी सींस्करण प्रमादणक होगा और दनष्पाि न और कायाणन्वयन के उद्देश्य के दिए उपयुक्त रहेगा ।

रेणू बाला

प्रशिक्षु न्यायिक पदाधिकारी

कुरुक्षेत्र